चित्रकूट-पुलि

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में एसओजी व थाना मारकुण्ड़ी की संयुक्त टीम द्वारा नवजात बच्ची के अपहरण की घटना का खुलासा करते हुये 04 दिन की नवजात बच्ची को बरामद कर अपहरण करने वाले 05 अभियुक्तों को घटना मे प्रयुक्त 01 बैगनआर कार व 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1.अमित पटेल पुत्र शिवबाबू निवासी मुजाहिदपुर मूरतगंज थाना संदीपन घाट जनपद कौशाम्बी

2.सुधीर सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र दयाराम निवासी मलाकनगर थाना चरवा जनपद कौशाम्बी

3.जंसवन्त प्रजापति पुत्र रामसुचित प्रजापति निवासी रामनगर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज

4.संतोष कुमार मिस्त्री पुत्र गुलाब सिंह पटेल निवासी मुजाहिदपुर मूरतगंज थाना संदीपन घाट जनपद कौशाम्बी

5.गुड्डू देवी पत्नी गोरेलाल आरख निवासी गोपीपुर थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट

बरामदगी:-

(i).04 दिन की नवजात बच्ची

(ii).घटना में प्रयुक्त बैगनआर कार UP-78 AW-6589

(iii).घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल टीवीएस राइडर UP-70 GW-4410

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक-

अनामिका अस्पताल के पास मूरतगंज जनपद कौशाम्बी दिनांक 13.10.2024

संक्षिप्त विवरण:-

उल्लेखनीय है कि दिनांक- 11.10.2024 को वादी सुनील कुमार पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी डोडामाफी थाना मारकुण्ड़ी मे सूचना दी गयी थी कि दिनांक 10.10.2024 को उनकी गर्भवती पत्नी श्री मती गुन्जा देवी प्रसव पीडा हुयी जिन्हें वह लेकर मझगवां अस्पताल जा रहे थे किन्तु अचानक दर्द बढने के कारण वह अपनी बहन के यहां टिकरिया में रुक गया जहां पर सुबह 10 बजे उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। दिनांक 11.10.2024 को एक कार में तीन लोग व एक महिला आयी और बोली की हम सरकारी आदमी हैं आपकी बच्ची का टीकाकरण होना है जिसके लिये अस्पताल चलना पड़ेगा तथा आपको 50000 रुपये की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जायेगी। जिस पर वह सरकारी गाडी समझकर उनके साथ बैठ गया, कर्वी मे पटेल तिराहा के पास उसे उक्त लोगों के द्वारा फोटो कापी के लिये भेजकर वह नवजात बच्ची को लेकर फरार हो गये। इस सूचना के आधार पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0स0 60/24 धारा 137(2),319(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष मारकुण्ड़ी एवं एसओजी प्रभारी को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। एसओजी एवं थाना मारकुन्ड़ी पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये टिकरिया रेलवे फाटक के सीसीटीवी फुटेज चेक किये गये जहां से घटना मे प्रयुक्त गाड़ी का नम्बर UP-78 AW-6589 पाया गया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान मे उक्त गाड़ी का मालिक संतोष कुमार मिस्त्री पुत्र गुलाब सिंह पटेल निवासी मुजाहिदपुर मूरतगंज थाना संदीपन घाट जनपद कौशाम्बी पाया गया जिसे हिरासत मे लेकर पूंछतांछ करने पर बताया कि दिनांक 11.10.2024 को सुबह मेरे ही गांव का मेरा परिचित अमित कुमार पुत्र शिबबाबू मेरी गाड़ी ले गया था। संतोष मिस्त्री की निशादेही पर अमित पटेल उपरोक्त तथा घटना में प्रयुक्त गाड़ी को हिरासत/कब्जा में लिया गया । कड़ाई से पूंछतांछ में बताया कि मैं गाड़ी में चालक के रुप में था तथा मेरे साथ गाड़ी में अनामिका अस्पताल मूरतगंज की देखरेज करने वाला सुधीर सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र दयाराम निवासी मलाकनगर थाना चरवा जनपद कौशाम्बी तथा उनका मित्र जंसवन्त प्रजापति पुत्र रामसुचित प्रजापति निवासी रामनगर थाना

फूलपुर जनपद प्रयागराज टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल से मानिकपुर पहुंचे जहां से आशा बहू गुड्डू देवी पत्नी गोरेलाल आरख निवासी गोपीपुर थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गाड़ी में लेकर टिकरिया रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां से एक नवजात बच्ची को उसके पिता से 10 हजार रुपये में खरीदकर था। बच्ची अनामिका अस्पताल में सुधीर सिंह की देखरेख में है। एसओजी एवं थाना मारकुण्डी के टीमों द्वारा तत्काल अनामिका अस्पताल के पास पहुंचकर अस्पताल के पास से सुधीर सिंह उर्फ डाक्टर व जसवंत प्रजापति को नवजात बच्ची के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल टीवीएस राइडर UP-70 GW-4410 को बरामद किया। आशा बहू गुड्डु देवी उपरोक्त को मारकुण्डी तिराहा मानिकपुर से गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त अभियुक्तो के कब्जे से नवजात बच्ची की बरामदगी एवं खरीद फरोख्त की बात प्रकाश में आने के आधार पर धारा 81,84,87 जे0जे0 एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा बरामशुदा घटना में प्रयुक्त कार एवं मोटरसाइकिल को धारा 207 एवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त जसवन्त प्रजापति उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरी शादी को 10 वर्ष हो रहा है मेरी कोई संतान नही है। मेरी पत्नी को लोग ताना मारते है इसलिये हम लोगो ने योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया।

उपरोक्त घटना नवजात बच्ची के पिता सुनील कुमार उपरोक्त की भी संलिप्तता पायी गयी जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

एसओजी टीमः-

1. निरीक्षक श्री एमपी. त्रिपाठी एसओजी प्रभारी
2. आरक्षी पवन राजपूत
3. आरक्षी गोलू भार्गव
4. आरक्षी आशीष यादव
5. आरक्षी रोहित सिंह
6. आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
7. आरक्षी रोशन सिंह

थाना मारकुण्ड़ी की टीम

1. प्रभारी निरीक्षक मारकुण्ड़ी शिवआसरे
2. वरि0उ0नि0 श्री शैलन्द्र चन्द्र पाण्डेय
3. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह
4. मुख्य आरक्षी कलीमुद्दीन
5. आरक्षी अतुल परिहार
6. महिला आरक्षी बबीता

(2). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं 161/2018 धारा 302,109 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. अजीत रैदास पुत्र दयाराम 2. राममिलन पुत्र भोलाराम निवासी चकला गुरू बाबा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 09.03.2018 को वादी दयाराम पुत्र भोलाराम निवासी चकला गुरू बाबा द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्तगण द्वारा पत्नी मैना देवी पुत्री नंदनी व पिंकी की हसिया से गला काटकर हत्या कर दी कि सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं 161/2018 धारा 302,109 भादवि0 बनाम अभियुक्त 1. अजीत रैदास 2. राममिलन उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री सुभाष चौरसिया द्वारा की गई। अभियुक्त को दिनांक 10.03.2018 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 26.05.018 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 305/2018 धारा 279,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लखन शिवहरे पुत्र सागर प्रसाद शिवहरे निवासी भगवत नगर बदौसा रोड़ थाना अतर्रा जनपद बांदा को 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 794/2018 धारा 279,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त वीरेंद्र पुत्र बालेंद्र निवासी खोह कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपहृतों/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस ने मेला में अपने परिजनो से बिछड़ी 02 बालिकाओं सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि कुँ0 सुमैना पुत्री मेधीलाल निवासी पिपरकुण्डी थाना करारी जनपद कौशाम्बी 2. करीना पुत्री दुर्जन सिंह निवासी कामासिन जनपद बांदा मेला घूमने राजापुर आयी थी जो परिजनों से बिछड़ गयी थी। राजापुर पुलिस द्वारा परिजनो को सूचित कर बालिकाओं को सकुशल सुपुर्द किया गया।

(6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 14.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना की एण्टीरोमियों टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन

तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(8). आज दिनाँक 14.10.2024 को आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में मानिकपुर पुलिस बल द्वारा आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु कस्बा मानिकपुर के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीम द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा संदिग्ध वाहनों,संदिग्ध व्यक्तियों से पूंछताछ की गयी।

पैदल गस्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थिति रहें।